अतारांकित (पुस्तिका क्रमांक- 57)

16 वीं विधान सभा पंचम सत्र
नियत तिथि- 16.02.2026

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक- F.18(04)EDU-1/16-5/383/2026-38890-8973163 जयपुर, दिनांक: 13 फरवरी, 2026

प्रमुख सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर।

विषयः- 16 वीं राजस्थान विधान सभा पंचम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 383/शिक्षा द्वारा श्री डूंगरराम गेदर (72), माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा।

प्रसंगः- अतारांकित डायरी संख्या : 16/5/383 दिनांक 15.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 16 वीं राजस्थान विधान सभा पंचम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 383/शिक्षा द्वारा श्री डूंगरराम गेदर (72), माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा के प्रत्युत्तर की 20 प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त प्रश्न को दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नेवा पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओ.पी. वर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव एवं मुख्य नोडल अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-2) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

Document certified by OM PRAKASH VERMA <op.varma1970@gmail.com>.

Digitally Signed by OM PRAKASH VERMA
Designation : Senior Deputy Secretary
Date :13-02-2026 10:05:42

RajKaj Ref No.: 20507227
eSign DSC

नियत तिथि 16.02.2026
अतारांकित पुस्तिका क्रमांक: 57

16 वीं राजस्थान विधान सभा के पंचम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 383/शिक्षा
द्वारा श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ),(72), माननीय सदस्य,राजस्थान विधान सभा

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
01	क्या सरकार कम्प्यूटर अनुदेशक कैडर की पुनः समीक्षा कर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक को कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड द्वितीय तथा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को व्याख्याता (कम्प्यूटर शिक्षा) के नवीन पद सृजित कर समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?	जी नहीं, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत 9862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक पदनाम से पदनाम को कम्प्यूटर शिक्षक ग्रेड-द्वितीय सृजित कर समायोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसी प्रकार 1182 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पदनाम से सृजित पदों को व्याख्याता (कम्प्यूटर शिक्षा) के नवीन पद सृजित कर समायोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उक्त दोनों पदों के पदीय दायित्व में कक्षा-1 से 12 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर संबंधित विषयवस्तु का शिक्षण सम्मिलित है, परन्तु उक्त विषय का शिक्षण तकनीकी प्रकृति का होने के कारण ही अध्यापक/शिक्षक के स्थान पर उक्त पदों को अनुदेशक (Instucter) नाम प्रदान किया गया है। कम्प्यूटर विषय के लिए विद्यार्थियों को मूलतः कम्प्यूटर का तकनीकी ज्ञान दिया जाता है, जिसमें प्रायोगिक रूप से अनुभव दिलाये जाने का महत्व अधिक है। कम्प्यूटर शिक्षा विषय हेतु कोई पृथक अध्यापन विधियां या शिक्षण तकनीक नहीं होती है ना ही इसकी आवश्यकता है। राजस्थान में उक्त विषय में योग्यताधारी आशार्थियों को इसी कारण बी.एड. (शिक्षा शास्त्र में स्नातक) पाठयक्रम हेतु पात्र भी नहीं माना जाता है। तदनुसार ही कम्प्यूटर अनुदेशकों को जॉब चार्ट में तकनीकी प्रकृति के कार्यों (यथा स्मार्ट क्लास संचालन

		तथा शाला दर्पण/ ऑनलाईन कार्यों के सहयोग, रोबोटिक्स अथवा अन्य तकनीकी गतिविधियों में मार्ग-दर्शन, लाईव वेबकास्ट का सम्पादन तथा कम्प्यूटर /आईसीटी लैब अथवा इस कार्य हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर को कार्यशील रखना इत्यादि) को प्राथमिकता प्रदान की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 से कक्षा 9 एवं 10 में कम्प्यूटर विषय पढाया जा रहा है तथा परीक्षा उपरान्त अंक तालिका में कम्प्यूटर के अंकों का इन्द्राज भी किया जाता है किन्तु विद्यार्थी के श्रेणी निर्धारण में कम्प्यूटर के अंकों को सम्मिलित नहीं किया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में कम्प्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित है।
02	क्या सरकार कम्प्यूटर अनुदेशकों के वर्तमान कैडर में पदोन्नति चैनल के अभाव, कैडर ठहराव एवं वेतन विसंगति को दूर करने हेतु सामान्य शिक्षकों की भांति कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति लाभ, स्टाफिंग पैटर्न एवं कैडर विस्तार लागू करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।	वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से कैडर विस्तार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदीय दायित्वों का समावेश भी किया गया है। विभाग स्तर पर कैडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति लाभ का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/प्रक्रियाधीन नही है।
03	क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं डिजिटल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर विज्ञान विषय को कक्षा 6 से 10 तक अनिवार्य विषय घोषित कर उसके अंकों को सीबीएसई की तर्ज पर अंकतालिका में सम्मिलित करने का कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।	वर्तमान में विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन/प्रक्रियाधीन नही है।